# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 395/2006</u>

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती दुर्गाबाई ताम्रकार,<br>सहायक वर्ग–2,<br>कार्यालय जल संसाधन एवं भू–जल<br>सर्वे मण्डल, सिहावा भवन परिसर,<br>सिविल लाईन्स, रायपुर (छत्तीसगढ़) | .......... | अपीलार्थी |

विरूद्ध

| | | |
|---|---|---|
| जन सूचना अधिकारी,<br>कार्यालय प्रमुख अभियंता,<br>जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन,<br>रायपुर (छत्तीसगढ़) | .......... | प्रतिअपीलार्थी |

:: <u>आदेश</u> ::

( दिनांक 05 दिसम्बर 2006)

श्रीमती दुर्गाबाई ताम्रकार अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर के आदेश दिनांक 23–08–2006 से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को आवेदन पत्र दिनांक 27–06–2006 के द्वारा सिंचाई विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम–1969 में पदोन्नति से संबंधित प्रावधानों की जानकारी चाही थी तथा यह भी चाहा था कि अनियमित रूप से पदोन्नति के योग्य व्यक्तियों को उनके वर्तमान पद से कब तक पदमुक्त किया जायेगा। जन सूचना अधिकारी के द्वारा मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को आवेदन पत्र भेजा गया, जिसके जवाब में मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के द्वारा आवेदक को प्रतिलिपि देते हुए पत्र दिनांक 13–02–2006 के द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचित किया गया कि आवेदक ने कोई जानकारी नहीं चाही है। अपीलार्थी के द्वारा उद्धृत जानकारी की पुष्टि करने का अधिनियम में प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी ने पुनः जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को आवेदन पत्र दिया, जिसमें बतलाया गया कि आवेदन–पत्र में उल्लेखित नाम को दी गई पदोन्नति नियमानुसार है अथवा नहीं इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। दिनांक 14–06–2006 को मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार के द्वारा आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(3) के अंतर्गत आवेदन

पत्र अमान्य होने की स्थिति में दी गई, जिसके विरूद्ध उसके द्वारा अपील की गई। अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता, महानदी गोदावरी कछार के द्वारा अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

**3/** आयोग के द्वारा अपीलार्थी तथा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तर्कों पर विचार किया गया। जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि अपीलार्थी ने शिक्षा विभाग के अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम–1969 के अंशों एवं परिपत्रों को उद्धृत करते हुए उनके सही या सही नहीं होने की जानकारी चाही थी। आवेदिका को सिंचाई सेवा भर्ती नियम के संबंध में समस्त अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये। अपीलार्थी को दिये गये अभिलेखों की छायाप्रतियाँ भी प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसको यह जानकारी नहीं दी गई कि 1973 के सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की गई है अथवा नहीं। अपीलार्थी ने यह भी चाहा कि उसे पदोन्नति की पात्रता थी किन्तु उसे पदोन्नति नहीं दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 22.01.1973 से उच्च श्रेणी लिपिक के शत–प्रतिशत् पद पदोन्नति से भरे जाने के निर्देश हैं। निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु सुपिरियर क्लर्क विषय के तीन विषय उत्तीर्ण हो प्राथमिकता देने का प्रावधान भर्ती नियम में नहीं था किन्तु फिर भी इसे प्रभावशील कर पदोन्नति दी गई। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि पदोन्नति वर्ष 1980 में आदेश दिनांक 06.11.1980 के अनुसार की गई। उक्त पदोन्नति सही थी अथवा नहीं, इसका अभिमत जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि यह घटना 20 वर्ष पूर्व की है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत 20 वर्ष पूर्व की घटना से संबंधित दस्तावेज दिया जाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 22.01.1973 का पालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

**4/** प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कार्यालय में जो अभिलेख उपलब्ध हैं वे समस्त जानकारी आवेदिका को दी जा चुकी हैं। पूर्व पदोन्नति समिति के द्वारा जिन व्यक्तियों को पदोन्नति वर्ष 1980 में प्रदान की गई, उसके बारे में सूचना अधिकारी के द्वारा कोई अभिमत दिया जाना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। यदि आवेदिका को पूर्व पदोन्नति के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह इस हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकती है। आयोग को पदोन्नति संबंधी निर्देश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। आवेदिका को कार्यालय में उपलब्ध सभी अभिलेख तथा नियमों की प्रतिलिपियां दी जा चुकी हैं। अतः आवेदिका की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त